

दिनांक: 28 जुलाई 2016

IBP is duly registered With ECI and believes in Positive Politics.
IBP is a whistleblower to point out Deficiencies which are
affecting Interest of 11 Crores of Businesses in India

श्री अरुण जेटली जी
वित्त मंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली

माननीय वित्तमंत्री जी,

ऐसा संज्ञान में आया है कि भारत सरकार द्वारा समस्त आयकर आयुक्त (अपील) को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह उन्हें लगभग 45 में अपीलों का निस्तारण करना है। उक्त आदेश का पालन करते हुए आयुक्त अपील न तो करदाताओं को अपना पक्ष रखने के लिए उपयुक्त समय दे रहे हैं और न ही करदाताओं के पक्ष को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या न्यायिक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इन निर्देशों का पालन करते हुए न्याय संगत निर्णय दे सकता है। चूंकि यह मामला उनके सर्विस रिकार्ड से जुड़ा है अतः आयुक्त अपील सभी नियमों एवं कानून को ताक पर रख कर एक पक्षीय निर्णय सुना रहे हैं।

यह सर्व विदित है कि इस प्रकार के एक पक्षीय निर्णयों को ITAT एवं माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार के मामले में मुकदमा वापस आयुक्त अपील को पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। भारत सरकार के संकल्प "सूक्ष्म एवं आसान Compliance" के यह विपरीत है क्योंकि कर न्याय प्रणाली पर दोहरा बोझ पड़ रहा है तथा न्याय निर्णय प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है।

आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के आदेशों को, जो व्यवहारिकता से परे हैं, तुरंत वापस लिया जाए तथा समस्त आयकर आयुक्त (अपील) को निर्देशित किया जाए कि वह करदाताओं को पूर्ण अवसर देते हुए ही अपीलों का निस्तारण करें।

धन्यवाद

वी. के. बंसल

संस्थापक संयोजक

प्रतिलिपि:

श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री (भारत सरकार)
नई दिल्ली

